[Mr. Deputy-Speaker]

are several questioners and I think the Home Minister will also take about ten minutes. The hon. Member should be brief.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): I will not take more than 15 minutes.

17-33 hrs.

ARBITRATION ON CHANDIGARH*

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की यह डिबेट 24 मई को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 37 में से उत्पन्न होती है, जिसमें चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या हरियाणा की सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के मध्यस्थ निर्णय को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है तथा इसके बाद वह आगे इस प्रश्न पर क्या विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चण्डीगढ़ राजधानी के रूप में 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात् बसाई गई। उस समय यह कल्पना थी कि यह राजधानी सम्पूर्ण पंजाब के लिये उपयोग में आयेगी और उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगी। उस समय भारत सरकार से बहुत बड़ी रकम ऋण के रूप में लेकर इस नगरी की स्थापना की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको कभी वहां जाने का अवसर मिला होगा तो आपने देखा होगा कि यह एशिया का एक सबसे सुन्दर और उत्तम नगर है, लेकिन उस चण्डीगढ़ के भविष्य के ऊपर एक तलवार लटकाई जा रही है, आज जब उसके भविष्य के सम्बन्ध में चण्डीगढ़ के नागरिक चिन्तित हैं। चण्डीगढ़ में बटवारे का भी सुझाव है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके डिजाइनर करबूजियर ने इस को एक इन्सानी शरीर के मुताबिक बनाया है जिसको आज टुकड़ों में तकसीम नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके जो सरकारी दफ्तर हैं, वहां का विधान सभा भवन है, वहां की हाईकोर्ट बिल्डिंग है, इसके शरीर के सिर के रूप में रखा है। आज मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब पंजाब के पुनर्गठन का प्रश्न दोबारा अपने देश के सामने आया तो उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय के अनुसार जब भारत सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि पंजाब का पुनर्गठन करना है तो उस समय उन्होंने यह आदेश दिया था कि 1961 की जनगणना के जो आंकड़ें हैं, जिनको सैन्सस के रजिस्ट्रार ने ठीक माना है, जिन को कि भारत सरकार ने ठीक माना है और जिनको उस सीमा आयोग में दुरुस्त मान कर यह करार दिया कि चण्डीगढ़ में 73.3 प्रतिशत जो जनता है, वह हिन्दी भाषी है और इसी प्रकार के जो चण्डीगढ़ में रहने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, चाहे मैट्रिक हो, मिडल हो, या दूसरी परीक्षायें हों, में हिस्सा लिया है, उस में हिन्दी को माध्यम के रूप में माना है, उनकी संख्या 70% है। अब सीमा आयोग ने इन दोनों आधारों पर अपना निर्णय दिया कि चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया जाये, लेकिन उस समय के कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस का विरोध हुआ, तब भारत सरकार ने चण्डीगढ़ के मामले पर दो दिन तक कैबिनेट में विचार किया और विचार करने के बाद केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने का निर्णय दिया, चूंकि उस समय चण्डीगढ़ में वहां की नागरिक सभा का एक शिष्टमंडल आया था और उस ने भी अपने केस के बारे में प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना की थी कि इस को केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बना दिया जाय। उस समय की नागरिक सभा के शिष्ट मंडल की भावनाओं का आदर करते हुए यह निर्णय लिया गया कि चण्डीगढ़ को केन्द्र प्रशासित क्षेत्र रखा जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय इस लोक सभा के अन्दर हमारे जो भूतपूर्व गृह मंत्री हैं श्री नन्दा जी उन्होंने चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में 6 सितम्बर, 1966 का बिल पेश करते हुये, कहा था——

"So far as Chandigarh is concerned, it had been conceived, planned and designed for the

purpose of serving the entire area, the Hindi region and the Punjabi region, and hence it is so situated that now, when the need is there, it can serve effectively as the capital of both the States of Haryana and Punjab as they are being created now."

उस के बाद सदन में बहस का उन्होंने जवाब दिया, तो भी उसी बात की पुष्टी की। उस जवाब की तरफ़ भी मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नन्दा जी ने कहा कि—

"So far as Chandigarh is concerned, let there be no more argument about it. It has been settled, accepted, and there is no way now except to re-open the whole thing; that may mean delay; we know how long it will take again to reconsider the whole thing; giving it to some other Commission, going into all these things once again, it is not possible. Therefore, let us not argue about these things. Let us take it in good spirit. Maybe that some persons may feel that Punjab has a better claim than Haryana. On the other hand, the Haryana people may say, "Here was a majority recommendation in our favour; why have you departed from that at all?" So it is good enough as it is. It serves our purpose; it serves the purpose of Haryana and Punjab to have the capital there. It is also an economical arrangement which is going to be in the interests of all concerned."

उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही थी कि सब की भलाई और हित इसी बात में है कि चण्डीगढ़ केन्द्र प्रशासित-इलाका रहे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय जो हमारे चण्डीगढ़ के मेम्बर-पार्लियामेंट थे—श्री अमरनाथ विद्यालंकार—उन्होंने भी इसी पोजीशन को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था—

"With regard to common links, I think it is better that at Chandigarh many common links should be retained. I conceive that Chandigarh should in course of time become the centre for Himachal Pradesh, for Jammu, for Punjab and for Haryana, and it should become a big centre, and a centre of important activities, for instance, educational activities for the benefit of all the people of this area. That is my concept of Chandigarh, and that is possible if Chandigarh is developed in that manner with the co-operation of all. It should belong to all, and it should become a common heritage I think that would be the best solution and I hope the Centre *will make all the necessary* arrangements with regard to that."

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न दोबारा क्यों खड़ा हुआ है? संत फतह सिंह ने फिर से जल मरने की धमकी दी और उन्होंने कहा कि चण्डीगढ़ अगर पंजाब को नहीं मिलेगा तो मैं आत्मघात करूंगा। उस समय पुनर्विचार हुआ। उस समय पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस की सरकारें थी, दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस सम्बन्ध में मध्यस्थ के तौर पर अपना निर्णय दें और उन का वह निर्णय स्वीकार होगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों मुख्य-मंत्रियों की यह कमिटमेन्ट व्यक्तिगत रूप में थी, न उन्होंने विधान सभा से स्वीकृति ली और न उन्होंने उस समय की कैबिनेट से परामर्श किया और व्यक्तिगत रूप में ही यह चीज स्वीकार की।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पिछले आम चुनावों का सम्बन्ध है, वे चुनाव चंडीगढ़ के भविष्य के मसले को लेकर लड़े गए थे। उस समय मैंने यह पोजीशन ली थी कि चंडीगढ़ केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र रहे। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किये गए, वह पंजाब के खिलाफ

[श्री श्री चन्द गोयल]
मंत्री रह चुके थे, दो बार लोक सभा के सदस्य रह चुके थे और पंजाब कांग्रेस के स्तम्भ माने जाते थे। उस के साथ साथ अकाली दल ने स्वतंत्र पार्टी के साथ मेल कर के अपना प्रत्याशी खड़ा किया और उस का स्टैंड यह था कि चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए। इस के अतिरिक्त कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया। लेकिन उस चुनाव में इन तीनों उम्मीदवारों को कुल मिला कर जितने वोट मिले, उस से कहीं ज्यादा वोट मुझे अकेले को मिले और इस प्रकार चंडीगढ़ के नागरिकों ने स्पष्टरूप में अपना यह मत प्रकट कर दिया कि चंडीगढ़ एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र ही रहना चाहिए।

आज मेरी समझ में यह नहीं आता है कि स्थिति में कौन सा परिवर्तन आ गया है। जब प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सालिसी, मध्यस्थ निर्णय को हरियाणा सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है और जब हरियाणा की विधान सभा ने यह प्रस्ताव पास किया है कि वह उन के मध्यस्थ निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो प्रधान मंत्री को खुले रूप में और असंदिग्ध शब्दों में यह घोषणा करनी चाहिए कि अब वह मध्यस्थ बन कर चंडीगढ़ के विषय में कोई निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सन्त फतेह सिंह आज बड़ी विचित्र पोजीशन ले रहे हैं। एक तरफ तो वह कह रहे हैं कि मुझे प्रधान मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला है और यह कि सरदार हुकम सिंह ने उन को यकीन दिलाया था कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलेगा और दूसरी तरफ वह कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी मध्यस्थ बन कर चंडीगढ़ के बारे में निर्णय दें। मैं समझता हूं कि आश्वासन और मध्यस्थ निर्णय में दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। उन को एक पोजीशन लेनी चाहिए

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज न पंजाब इस अवस्था में है कि वह करोड़ों रुपये खर्च कर के एक नया नगर बसा सके और न ही हरियाणा इस अवस्था में है। इस लिए आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब और हरियाणा के गवर्नर वहां ही रहें, दोनों प्रदेशों का एक सांझा हाई कोर्ट वहां रहे और अगर दोनों की अलग अलग हाई कोर्टस बननी हैं, तो वे दोनों वहां रहें। इसी प्रकार विश्वविद्यालय और अन्य सब सांझी संस्थायें वहां रह कर पंजाब और हरियाणा दोनों की सेवा करें। मैं समझता हूं कि आज चंडीगढ़ के लोगों के मनों में उस के भविष्य के बारे में जो भ्रम है, केन्द्र को खुले तौर पर उस को दूर करना चाहिए और भूतपूर्व गृह मंत्री श्री नन्दाजी द्वारा चंडीगढ़ के लोगों को सम्बिग्ध शब्दों में जो भरोसा दिलाया गया था, उस पर कायम रह कर यह घोषणा करनी चाहिए कि चंडीगढ़ केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र रहेगा। चंडीगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में, चंडीगढ़ के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, मैं बल के साथ कहना चाहता हूं कि आज केन्द्र की तरफ से लोगों को यह आश्वासन मिलना चाहिए।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) शाह कमीशन ने हरियाणा की पिछड़ी हुई स्थिति और पहली पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के प्रति किये गए पक्षपात को दृष्टि में रख कर अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि चंडीगढ़ को हरियाणा की राजधानी बनाया जाये। कमीशन ने इस बात को भी अपने ध्यान में रखा कि पंजाब के पास पटियाला जैसा नगर है, जो कि पेप्सू की राजधानी रह चुका है। केन्द्रीय सरकार ने यह नादानी की कि उस ने शाह कमीशन के इस प्रकार के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय पर अपनी कलम लगाई कि चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया जाये, जिस से फिर एक संघर्ष का प्रारम्भ हुआ। मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसी विषय पर पार्लियामेंट का निर्णय हो जाने के बाद क्या किसी सरकार को इस बात का

अधिकार है कि पार्लियामेंट की अनुमति के बिना प्रधान मंत्री को उस विषय पर पंच-निर्णय करने की अनुमति दे और क्या किसी प्रधान मंत्री को यह अधिकार है कि वह बीच मे आकर पंच बन जाये।

मैं यह जानना चाहता हू कि प्रधान मंत्री और सन्त फ़तेह सिंह की कल-परसो जो मुलाकात हुई है, क्या उन मे प्रधान मंत्री ने सन्त फतेह सिंह को कोई इस प्रकार का गुप्त आश्वासन दिया है, जो हरियाणा के हितो पर आघात करने वाला है और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ इन तीनों के सम्बन्ध मे फिर नये सिरे से एक संदिग्ध स्थिति पैदा करने वाला है।

Shri G S Dhillon (Taran Taran) Sir, as I understand from the hon. Member Shri Goel's speech, he has been making out a case for a Union Territory Shri Shastri has made out a case for Haryana I want to ask whether it is not a fact that the surrounding areas of Kharar Tehsil in which Chandigarh is situated in the very centre was not a part and parcel of the erstwhile region known as Punjabi Region? Secondly, a case was made out that there was a preponderance of urban Hindi population But is the hon Member not aware that in 1961 census this urban percentage was taken not in the unit of Chandigarh as a single unit but Kharar, Mani Majra, Kalka and Ambala taken together?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) डिपुटी स्पीकर साहब, हमारे लिए-हरियाणा के लिए-चंडीगढ़ का सवाल एक खुद्दारी का सवाल बन गया है और सन्त फतेह सिंह के स्टेटमेंट्स हरियाणा के लिए एक चलेंज हैं। हमें मुकम्मल विश्वास है प्रधान मंत्री की आरबिटरेशन पर और हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इस बारे में आरबिटरेशन करें। हमें उन पर पूरा एतकाद है और हमें पूरी उम्मीद है कि वह ठीक आरबिटरेशन करेंगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री यही तो माननीय सदस्य की गलती है।

श्री रणधीर सिंह मैं यह पूछना चाहता हूँ क्या सरकार सन्त फतेह सिंह के प्रेशराइजेशन और ब्लेकमेलिंग मे, जो वह हमेशा करता रहा है, तो नही आयेगी और इस तरह आरबिटरेशन से मुकर तो नही जायेगी।

फ़र्ज़ कीजिए कि आरबिटरेशन नही होना है, क्योकि दोनो स्टेट्स मे नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं और इस बारे मे उन दोनो के मतज़ादस्टेंड हैं। उस हालत मे एक जुडिशल ट्राइब्यूनल का जो फैसला है, जिस के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, क्या हमारे नेता और होम मिनिस्टर उस फैसले को टू दी लेटर इम्प्लीमेंट करेंगे या नही ?

अगर उस फैसले को इम्प्लीमेंट नही किया जाता है, तो क्या होम मिनिस्टर साहब और सरकार चंडीगढ़ और उस के गाउंड एबाऊट एरिया मे, जो हिन्दी स्पीकिंग एरिया है, रिफ्रेंडम कराने की बात मानेंगे ?

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) मैं यह पूछना चाहता हू कि जब पंजाब का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ तो अब चंडीगढ़ के बारे में निर्णय करने के लिए और कौन सा आधार है। क्या सरकार की यह कमज़ोरी नही है कि इस प्रश्न को बार-बार रीओपन किया जा रहा है ? क्या सरकार कभी इस परम्परा से निकलना चाहेगी कि जो कोई समस्या उस के सामने आती है, वह उस को उलझाए जाती है और थोड़ा सा दबाव पड़ते ही उस को रीओपन कर देती है ? जब कभी कोई ऐसा प्रश्न आता है, तो सरकार कहती है कि लोकतंत्र में लोगों की बात सुननी पड़ती है। बार-बार विचार करना पड़ता है। अगर सरकार वास्तव में लोकतंत्र की हामी है, तो वह क्यो नही हिम्मत के साथ चंडीगढ़ के लोगों से पूछती है कि आखिर वे क्या चाहते हैं ? अगर सरकार में हिम्मत है और वह हिम्मत

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

के साथ कोई फैसला ले सकती है, तो वह इस बारे में चंडीगढ़ के लोगों की राय पूछे। इस तरह सरकार का भी पीछा छूट जाता है और प्रधान मंत्री का पीछा भी छूट जाता है। यह सरकार नागालैंड के लोगों की राय पूछना चाहती है, मिजो लोगों की राय पूछना चाहती है। तो फिर वह चंडीगढ़ के एक लाख पढ़े-लिखे लोगों को क्यों नहीं पूछती है कि वे कहां रहना चाहते हैं ? आज न्याय और लोकतंत्र का तकाजा यही है कि इस प्रश्न को और उलझाने के बजाय सीधा बनाया जाये और चंडीगढ़ के भविष्य के बारे में वहां के लोगों से पूछा जाये।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur). I think our Government has specialised in unsettling settled question When the Punjab Reorganisation Bill was passed, Sir, you will remember it very well, it was decided that Chandigarh should be a Union Territory The whole House approved of it This was a decision which was taken after full, thorough and healthy discussion. Now may I know why it is that again this question has been re-opened and why it is that it is again being discussed, especially when the people have also given a verdict in favour of retaining Chandigarh as a Union Territory, because I know that the hon. Member who has been returned to Lok Sabha from Chandigarh fought his election on the issue that Chandigarh should remain a Union Territory Therefore, I want to know what is the need for changing the stand on the part of the Government, when the people have expressed themselves in favour of Chandigarh as a Union Territory, when Parliament has expressed itself in favour of Chandigarh as a Union Territory, when the whole of Punjab wants that Chandigarh, which is an international show-piece, should not belong to this part or that part but should remain a single undivided unitary unit to project the image of India abroad.

श्री जार्ज फर्नेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आज के अखबारों में आई हुई खबर की ओर आकर्षित कर के फिर प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह आज का बम्बई का फ्री प्रेस जर्नल है। इस में चंडीगढ़ के बारे में आई हुई यह खबर है:

"Akali leader, Sant Fateh Singh today asked Prime Minister Indira Gandhi to arbitrate on Chandigarh at the earliest, irrespective of the stand taken by the Haryana Government, and asked the Haryana Government not to go back on its commitment on the issue.. .

Talking to newsmen, Sant Fateh Singh said they had accepted arbitration on Chandigarh 'because the Prime Minister had been telling the various deputations meeting her that Chandigarh belonged to Punjab'"

. अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस एक वाक्य को पढ़ूंगा :

" they had accepted arbitration on Chandigarh 'because the Prime Minister had been telling the various deputations meeting her that Chandigarh belonged to Punjab'

He also urged the Prime Minister to appoint a committee or a commission to go into the question of other Punjabi-speaking areas, as had been promised by Shri Hukam Singh."

तो मेरा प्रश्न इस बात के ऊपर सिर्फ इतना ही है अध्यक्ष महोदय कि चूंकि इस किस्म के राजनीति में पड़े हुए लोगों को अलग अलग वक्त अलग अलग किस्म के आश्वासन देने पड़ते हैं और कभी कभी इस मामले में उन की ईमानदारी के बारे में भी लोग सवाल पूछा करते हैं और आज सुबह भी इस सदन में पर महाराष्ट्र और मैसूर की सीमा के बारे में प्रश्न चला तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस बात के ऊपर सोचेंगे

के लिए तैयार हैं कि सीमाओं के बारे में या दो राज्यों के बारे में किसी भी मसले को लेकर जो झगड़े हुआ करते हैं इन चीजों को मिटाने के लिए वह एक परमानेंट कमीशन हमेशा के लिए बनाने के लिए तैयार हैं या क्या इस दृष्टि से वह सोच रहे हैं क्या?

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब चंडीगढ़ का मामला सेटिल हुआ था तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश ने यह मांग की थी कि चूंकि पंजाब के टुकड़े हुए हैं एक हरयाना, एक पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश तो हम ने यह कहा था कि हिमाचल प्रदेश को भी चंडीगढ़ का हिस्सा दिया जाय। तो जनाब, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं इस प्रश्न में कि अगर चंडीगढ़ को बांटने का कभी मामला कोई आया तो उसमें हिमाचल प्रदेश का हिस्सेदार समझा जायगा या नहीं ?

दूसरी अर्ज मेरी यह है कि अगर चंडीगढ़ का मामला फिर से खुल गया तो क्या हिमाचल प्रदेश के साथ जो इलाके हैं जिन के बारे में बाउंड्री कमीशन ने भी कहा था कि तहसील ऊना का कुछ हिस्सा हमारे पास है, उस का बाकी हिस्सा, धारकला ब्लाक तहसील पठानकोट और कालका को क्या हिमाचल प्रदेश को देने के लिए विचार होगा या नहीं ?

और तीसरी बात में यह अर्ज करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ को और यूनियन टेरेटरी न रखा गया तो हिमाचल प्रदेश उस का सब से पहले हकदार है क्योंकि जो बटवारा हुआ उस में 19 हजार जमीन पंजाब को गया है, 17 हजार जमीन हरयाना को गया है और 11 हजार जमीन हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो इसी प्रोपोर्शन से चंडीगढ़ का इलाका भी हमें दिया जायगा या नहीं दिया जायगा, इस पर विचार किया जायगा या नहीं ?

Shri Devinder Singh (Ludhiana): Sir, Shri Goel has made out a case for Chandigarh to remain as a Union territory because he won the election on the platform that Chandigarh should remain a Union territory. I am sure, Sir, the general election is not of the character of a referendum which is held on a single issue; general election is fought on a number of issues and his stand—I do not know; I was never a party to that election—that Chandigarh should remain a Union territory may have been one of them. I want to point out that the people who inhabit Chandigarh hail, a vast majority of them, from Punjabi-speaking areas.

Shri Randhir Singh: No, no.

Shri Devinder Singh: Even urban Hindus, as they have been classified, hail from Amritsar, Jullundur, Ludhiana and other Punjab towns. I would like to ask if the 1961 census is to be taken as an index of truth in Punjab regarding the language, then would the kind of division that was made of Punjab during re-organisation be justified I am confident that there is no doubt in anybody's mind that people who inhabit Jullundur, Ferozepur, Amritsar, Hoshiarpur etc. are Punjabi-speaking people. I want to ask: Is *hypocrisy or barefaced lying going to* be the foundation of our democracy? If we know that the 1961 census was not based on what we should call an honest opinion of the people....

Shri Sonavane: The half an hour is almost over.

Mr. Deputy-Speaker: No argument please; put a question.

Shri Devinder Singh: Then the argument that the people who live in Chandigarh, since some of them say that their mother tongue is Hindi and, therefore, Chandigarh should be taken away from Punjab, would that argument hold water?

Mr. Deputy-Speaker: Shri Kanwar Lal Gupta. Just a question, no preface. It is already six o'clock.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) अध्यक्ष महोदय, संयुक्त पंजाब में जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल रहा है वह हमेशा यह कहता रहा है कि पंजाब के टुकड़े नहीं होंगे। लेकिन आतन्क वायलेंस इसीडेंट्स के दबाव में आकर के दो टुकड़े करना मान लिया गया और सीमा आयोग निश्चित हुआ। उस ने अपना यह फैसला दिया कि चंडीगढ़ हरयाने में रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी, वास्तव मे उस चीज को मान लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी फास्ट, मरण व्रत, उपद्रव जलने जलाने का जो निश्चय हुआ उस तरह की धमकियो में आकर के भारत सरकार ने एक गलत परम्परा फिर डाली वायलेंस के आगे झुकने और अपनी बात छोड़ देने की और उस सिद्धान्त को मान कर फिर दोबारा चंडीगढ़ के इश्यू को खोला गया और दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्रियो की सम्मति पर प्रधान मंत्री को मानना पड़ा कि वह चंडीगढ़ के सवाल को फिर देखेंगी। अब गैरकांग्रेसी सरकार हरयाना में बन गई तो. (व्यवधान). मेरे लिये चंडीगढ़ हरियाना में रहे या पंजाब में जाय यह कोई प्रश्न नही पैदा होता क्योंकि सारा देश मेरे ख्याल से एक है। मैं कोई भेद उसमे नही समझता। लेकिन चीज यह है कि हर चीज शान्ति से तय होनी चाहिए। वायलेंस से कोई भी चीज तय नहीं होनी चाहिए।

तीसरी चीज यह कि आखिर इसमे कनर्न किस का है क्या उसके फैक्ट्स हैं वह सब चीज सामने आ गई हैं और पोलिटिकल आदमियों को इस आर्बिट्रेशन में नहीं आना चाहिए, यह सब चीज ध्यान में रखते हुए........ (व्यवधान).. .. मुझे कहने दीजिए मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हू, सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला— जब संत फतह सिंह ने व्रत रखा हुआ था और जल मरने की धमकी दी थी, उन वक्त सरदार हुकम सिंह उनके पास गये थे, उस समय क्या कोई विश्वास उन को हुकम सिंह जी की मारफत प्राइवेटली दिलाया गया था या नहीं दिलाया गया था? इस समय जब कि सारे तथ्य आपके सामने आ गये हैं, शान्ति से काम होना चाहिए तथा कोई लम्बे चौड़े आयोग को बठाने की जरूरत नहीं है।

एक मेरा सुझाव है जिस पर माननीय गृह मंत्री जी विचार करें कि इस मामले का टास से फैसला कर दिया जाय कि यह किधर जाय।

18 hrs.

श्री राम किशन (हुशियारपुर) : मैं होम मिनिस्टर साहब से चार सवाल पूछना चाहता हू और आशा रखता हूं कि उनका जवाब देते हुए वे उसको पूरी तरह से क्लेरिफाई करेंगे।

1956 मे स्टेट्स रिआर्गेनिजेशन के बाद पंजाब में भाषा के आधार पर जो फैसला हुआ था, उस के मुताबिक जो रिजनल फार्मूला और जो रिजनल कमेटीज बनी थी और जिस पर पंजाब के हिन्दू और सिख रिप्रेजेन्टेटिव्ज और दूसरे संबन्ध के तमाम रिप्रेजेन्टेटिव्ज के दस्तखत हुए थे और 1956 में होम मिनिस्ट्री ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके अन्दर जहां तक खरड़ तहसील और चन्डीगढ़ का ताल्लुक है किस रिजन में रखा गया था? भाषा के आधार पर चन्डीगढ़ और खरड़ का फैसला करते वक्त भाषा उस आधार को मलहूज़ेखार रखा जावेगा या नहीं?

दूसरा प्रश्न, जब संत फतह सिंह जी ने व्रत रखा था, उस समय जो काफी अखबारों में निकला था और अभी तक भी लोगों के दिलों में डाउट्स हैं—मैं यह पूछना चाहता हू कि आया संत फतह सिंह का डाइरेक्टली, या इनडाइरेक्टली, सरदार हुकम सिंह को डाइरेक्टली या इन-

डाइरैक्टली या उस वक्त पार्लियामेंट के पंजाब के जो रिप्रजैन्टेटिव्ज थे, उन को डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली किसी तरह का कोई विश्वास दिलाया गया था या नहीं दिलाया गया था, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिये ।

तीसरी बात, पिछले जनरल इलेक्शन्ज के पहले चीफ़ मिनिस्टर पंजाब, चीफ़ मिनिस्टर हरियाना और चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश की आपके साथ जो मीटिंग हुई थी, आया उसके साथ-साथ उन तीनों प्रान्तो के चीफ़ सैक्रेटरीज की भी कोई मीटिंग हुई थी और क्या उस में कुछ ऐसा कहा गया था कि जहां तक प्राइम मिनस्टर को आरबिट्रेटर मुकर्रर करने का सवाल है और जब कि एक चीफ़ मिनिस्टर की एक राय है, दूसरे चीफ मिनिस्टर की दूसरी राय है, आया इन चीफ सैक्रेटरीज ने लिख कर कुछ दिया था या नहीं । आया इन तीनों गवर्नमेंटस से कुछ कारसपोन्डेन्स हुई थी और अगर हुई थी तो उसके क्या निर्णय निकले, इन पर आप रोशनी डालें ।

चौथी बात, चाइनीज एग्रेशन के बाद चन्डीगढ़, जैसा कि होम मिनिस्टर को मालूम है, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक सप्लाई लाइन बन गया है । आया चण्डीगढ़ का फैसला करते वक्त और आज हिन्दुस्तान की जो इन्टरनल सिचुएशन हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा और कब तक और किस तरह से फैसला करेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: There is a procedure laid down. Unless he writes to me in advance, no questions can be asked now. He may please sit down.

Shri Sonavane (Pandharpur): The provision is only half an hour and that time has already been exceeded.

Mr. Deputy-Speaker: That is all right.

The Home Minister.

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): It has been suggested that I could reply in Hindi. I sometimes speak in Hindi. I would have loved to speak in Hindi, but this is an important statement and, therefore, I do not want to commit any mistake. I would, therefore, speak in English.

I am very glad that this discussion has given me an opportunity to put the facts before this hon. House in the proper perspective, because a lot of things have been said and have appeared in print which sometimes mislead the people. Some people have got a very good knack of misleading themselves. So, I think, this gives me a very good opportunity to put the whole facts, as they happened in the last few months.

It is a well-known fact, it is a fact of history, that the Shah Commission recommended inclusion of Chandigarh in Haryana, but the Government in its wisdom decided that it should be kept as a Union Territory and the Parliament approved the decision and put its seal on that decision.

Later on, this question arose because of the threat of self-immolation by Sant Fateh Singh. I would like to remind this hon. House by quoting my own statement or mentioning my statement which I made in both the Houses on the 8th December, 1966, wherein I stated:

> "The Government would be unable to accept any claim for readjustment of the reorganized territories unless all the parties concerned evolved a mutually agreed solution."

That was our basis. At the same time, there was the question of common links of Governor and High Court

[Shri Y. B. Chavan]

and at that time we also said that, if either of the Government made any recommendation about those common links, certainly the Government would act on that.

But the question of the adjustment of territories including Chandigarh was a question which could be reconsidered or reviewed only if there is a mutually agreed and evolved procedure and methods for it. It was on that basis, when the fast was on, that discussions took place between us and the then two Chief Ministers of Punjab and Haryana. The discussions were going on for some time, but ultimately both the Chief Ministers agreed that they would be willing to accept the arbitration of the Prime Minister. After some hesitation, the Prime Minister accepted this offer of both the Chief Ministers, which was conveyed to Sant Fateh Singh that very day through the then Speaker Sardar Hukam Singh.

These are the facts. In this connection, some Members have raised the question whether the Chief Ministers had consulted their Cabinets or their parties. This question does not arise, really speaking. When a Chief Minister in a serious official discussion with the Central Government makes a statement, we do not put in the condition 'Bring the consent of your party or your Cabinet.'. When he says a thing, he says it. When I am saying certain things here, I am committed, and our Government is committed to this thing, and you do not ask me the question whether I am saying this with the approval of the Cabinet or of the Prime Minister. It is a presumption that when a Minister says something in his official capacity, it commits the Government. So, those two Chief Ministers agreed to this thing, and it was on that basis that it was conveyed to Sant Fateh Singh that the Prime Minister would be willing to work as an arbitrator.

Let me make it absolutely and categorically clear that at no time, through nobody, directly or indirectly, was any assurance given or conveyed to Sant Fateh Singh or to anybody else, either through Sardar Hukam Singh or anybody else, that Chandigarh would be given to Punjab. It would be an absolutely absurd proposition to think that when one accepts to arbitrate, he at the same time gives an impression that it is being conceded to one party. If Sant Fateh Singh still believes in this thing, either he has got infinite capacity for self-deception or he does not understand things. That is all that I can say. I cannot say anything else.

Shri George Fernandes had raised a very legitimate question because some news had appeared in the press. Sant Fateh Singh did meet the Prime Minister, and again the Prime Minister has categorically made it clear that at no time had she given any assurance; when she has agreed to become the arbitrator, it means that she is willing to consider this question on merits with open mind. So, I would like to make it clear that any news propaganda or any statement that Sant Fateh Singh possibly may be making to save his own image with his own people possibly should not be believed in in this matter particularly: that should be absolutely clear.

Coming back to the question of arbitration, our position is that we have agreed or the Prime Minister has agreed to arbitrate if both the parties agree to arbitration and accept to abide by the arbitration. That is the basis of arbitration. Otherwise, it is no arbitration at all. But the fact is that one of the Chief Ministers, namely the Chief Minister of Haryana has taken a different position now. His position is that he is not agreeable to the arbitration, not only of the Prime Minister but to any arbitration as such. Here, let me say one thing, though it is not connected with this half-an-hour discussion, because this is not the occasion when I should make that point but rather in the course of my

reply to the discussion on the Demands of my Ministry, because it was in the course of that discussion that this point had been made. Shri A. B. Vajpayee had said that I was angry with Rao Birendra Singh because he did not accept the arbitration of the Prime Minister. It is an absolutely absurd suggestion to make. I can assure him, and if any assurance is required, I can assure the Chief Minister of Haryana that there is no question of my being angry with him over what position he takes. As to what decision he takens, it is a matter for him Whether it is right or wrong or justified or not, it is for him to say. There is no question of my being angry with anybody

Our position is this The Prime Minister has agreed that she would be willing to arbitrate even now, provided the parties agreed to have her as the arbitrator and to abide by the arbitrator's award. That is the position

I think it is much better that I take this opportunity to explain what we propose to do The position today is that the Punjab Government have said that they are willing to accept arbitration. That means the Punjab Government have the support of Sant Fateh Singh He has agreed that whatever the decision of the Prime Minister as arbitrator, he is willing to accept it. There is no question of somebody having given an assurance in advance and therefore they have agreed to arbitration.

Shri D. C. Sharma: That is the impression there.

Shri Y. B. Chavan: It is a wrong impression. Let him please help me correct it.

Now Rao Birender Singh, Chief Minister of Haryana, has sent me a letter saying that he is not willing to agree to arbitration. He has given certain reasons for this. It is the same as some people's attitude, i.e they are presuming that the arbitration is going to be in favour of Punjab; that means, that if it does not go in their favour, they may not accept it. That is one reason given. The other reason he has given is that it is not a commitment as far as the Haryana Government are concerned. At the same time, he has made a suggestion as an alternative for another Commission which may be appointed to go into the entire question of claims and counter-claims including Chandigarh. That means that there is some hope, that he is prepared for a review of the question of Chandigarh. That is how I look at it. I propose to discuss this matter further with him including the question of arbitration. I hope to succeed. If I do not succeed—there is a possibility that I may not suceed —it will be a matter for Government to consider and examine further At this moment, there is no question of further consideration.

One more point. Shri Gupta said that wherever Chandigarh is he is very happy about it. This is the first time that I see a party taking the attitude of a sanyasi But it is not so simple as that.

Shri D. C. Sharma: One of his partymen wants Chandigarh to remain as it is.

Shri Y. B. Chavan: Our Government's or Party's stand is clear, that if both parties agree to accept end abide by the arbitration of the Prime Minister, the matter can be settled that way. But here is a very interesting situation. The Jan Sangh in Punjab says, 'Let it go to Punjab', the Jan Sangh in Haryana says 'Let it go to Haryana' and the Jan Sangh representative of Chandigarh says 'Let it remain where it is'.

Shri Kanwar Lal Gupta: What is the position of the Congress Party? Is it not the same?

Shri Y. B. Chavan: This remainds me of a very interesting proverb I came across when I was learning Hindi;

'Ganga gaye Ganga Das, Yamuna gaye Yamuna Das'—and Chandigarh gaye Chandi Das'!

Shri Kanwar Lal Gupta: What is the position of the Congress?

Shri Y. B. Chavan: My last point is concerning the last question put by Shri Ram Kishen. He said that while considering the question of Chandigarh, the question of the security of India should be considered. Personally, I do not think the suggestion very good and worthy. Wherever Chandigarh is, it will be safe and it will be in the interest of the security of India. I have no doubt about it.

Shri Randhir Singh: What about the Shah Commission Report? Is he prepared to reconsider the decision on it?

Shri Y. B. Chavan: I do not want to add anything to what I have said.

18.14 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, July 6, 1967/Asadha 15, 1889 (Saka).

GMGIPND—L S II—1160 LSD—16-1- 68—1000.